मु० नम्बर 175/11 किस्म ..... मूर्ति मंदिर ..... उनवान .....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दिनांक	फर्द अहकाम	
	8/12/23 बकुलाव उपस्थित/पीठासीन अधिकारी, 2 जजकार्य के बार पधारे है। मतानुसार दिनांक ..... को पेश हो। 8-12-23	
	8/12/23 पत्रावली प्रस्तुत आज बार प्रतिनियोजन द्वारा स्थगन किया गया है अत. पत्रावली मतानुसार दिनांक ..... को पेश हो। 28-11-23	
26/4/24	पत्रावली पेश हुई। वादीगण व वादीवकील उप० नहीं। प्रकरण में बार-बार वादीगण व वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी। आवाज दिलवाने के बावजूद वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित नहीं हिसाब से जाहिर होता है कि वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे है। अतः मु० 175/11 धारा मूर्ति मंदिर की नुकसानी बनाम कैलाश वगै० अधीन धारा 3 व अधीन धारा 5 में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:17:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner